एफ.एस.एस.ए.आई डेयरी प्लांटों को दूध को विटामिन ए और डी से पौष्टिकीकृत करने के लिए भी कहती है। ये विटामिन प्रसंस्करण के दौरान समाप्त हो जाते हैं। चूँकि दूध सभी लोग पीते हैं, इसका विहित पोषक तत्वों से पौष्टिकीकरण सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुपोषण से निपटने का अच्छा उपाय है।

उपभोक्ताओं का में विश्वास बनाने के लिए देश में उपभोक्ता जागरूकता और संलग्नता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। इसमें डार्ट बुक, दूध में मिलावट जानने के लिए घर पर किए जाने वाले परीक्षणों वाले मैजिक बॉक्स और *दुग्ध उत्पादों पर उपभोक्ता मार्गदर्शन नोट* के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूध के प्रहस्तन के लिए स्वच्छ और सुरक्षित रीतियों के बारे में एक मार्गदर्शी प्रलेख भी जारी किया जाएगा। एफ.एस.एस.ए.आई ने दूध और दुग्ध उत्पादों और उनमें मिलावटों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए पंजाब में पंजाब राज्य किसान और किसान कल्याण आयोग के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान के लिए संयुक्त वित्तपोषण के अंतर्गत भी एक परियोजना आरंभ की है। इससे सीखे गए सबक से और इसके परिणामों और प्रभावों के आधार पर देश के अन्य विभिन्न भागों में भी यह अभियान छेड़ा जाएगा।

अंत में अधिकांश भागीदारी वाले असंगठित क्षेत्र और कच्चे दूध की गुणता के मुद्दे से निपटने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई *"सत्यापित दुग्ध विक्रेता योजना"* आरंभ करेगी, जिसके तहत दुग्ध विक्रेता ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण करा सकते हैं, जिन्हें फोटो पहचान पत्र तथा अच्छी तरह अंशांकित दुग्धमापी दिया जाएगा। स्वच्छ दुग्ध उत्पादों पर प्रशिक्षण भी दिए जाएँगे, जिनके अंतर्गत उनके दूध के समय-समय पर नमूने लिए जाएँगे और उनके परीक्षण किए जाएँगे। पहचाने गए संवेदनशील क्षेत्रों से प्रवर्तन/निगरानी गतिविधियों को सख्ती से लागू करने में सहायता मिलेगी। खाद्य सुरक्षा मित्रों को भी इन विक्रेताओं को नाम मात्र के शुल्क से पंजीकृत करने के लिए कहा जाएगा। इन कार्यों के लिए एक अलग पोर्टल बनाया जाएगा।

कार्रवाई योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई, पशु पालन और डेयरिंग विभाग (डी,ए.एच.डी), एन.डी.डी.बी, एन.डी.आर.आई तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

मीडिया संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें :

रुचिका शर्मा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

E-sharmaruchika.21@gmail.com

एफ.एस.एस.ए.आई के बारे में

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की स्थापना 2006 में की गई थी और इसे उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यकर और सुरक्षित दूध की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य सौंपा गया था। एफ.एस.एस.ए.आई इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्न करती रही है। इस उद्देश्य के लिए यह देशी विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य मानकों का कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन, जो नवीनतम विज्ञान पर आधिारित खाद्य मानक-निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य संस्था है और जिसके मानकों को दुग्ध सुरक्षा सहित खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त माना जाता है, के मानकों से नियमित रूप से सुमेलन करती रहती है। देश में जनता के स्वास्थ्य में सुधार लाने और जीवन शैली के रोगों से लड़ने के लिए पोषण के प्रति नकारात्मक प्रवृत्तियों से जूझने के प्रयोजन से एफ.एस.एस.ए.आई ने जुलाई, 2018 में *'ईट राइट अभियान'* चलाया। एफ.एस.एस.ए.आई ने दूध की सुरक्षा और गुणता की दिशा में *'सुरक्षित और*

गुणतापरक दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए कार्रवाई योजना' के रूप में हाल ही में एक नई पहल की है।